न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– वीरेन्द्र कुमार चौबे
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 421/2026
सालिमपुर थाना कांड संख्या 88/2026

---

1. महेन्द्र यादव, पिता तोखन यादव, उम्र करीब 75 वर्ष,
2. शिवजी यादव, पिता महेन्द्र यादव, उम्र करीब 33 वर्ष,
3. बिपिन कुमार, पिता महेन्द्र यादव, उम्र करीब 25 वर्ष,

साकिन–बिहटा, थाना–सालिमपुर, जिला–पटना.....आवेदक अभियुक्तगण

बनाम्

बिहार सरकार ..... विपक्षी

आवेदक अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री ब्रजकिशोर नारायण
बिहार सरकार की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– मो0 एस0 आर0 रहमान

आदेश

30.05.2026 आवेदक अभियुक्त 1. महेन्द्र यादव, 2. शिवजी यादव एवं 3. बिपिन कुमार की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. के तहत् दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति अभियोजन को प्रदान किया गया है। यह वाद सालिमपुर थाना कांड संख्या 88/2026, अंतर्गत धारा 115(2), 117(2), 126(2), 351(2), 352, 303(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता से सम्बंधित है।

आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को संचालित करते हैं तथा निवेदन करते हैं कि आवेदक अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्तगण निर्दोष है और इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। अभियोजन केस पूर्णतः गलत एवं बनावटी है और ग्रामीण राजनीति के तहत आवेदक को अभियुक्त बनाया गया है। आवेदक अभियुक्तगण पर विशिष्ट तौर पर कोई आरोप नहीं है। प्राथमिकी दर्ज किये जाने में 13 दिनों की देरी हुई है, जिसका स्पष्ट विवरण नहीं दिया है। आवेदक अभियुक्तों के फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण सक्षम जमानतदार देने को तैयार हैं। अतः आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाय।

अभियोजन जमानत का विरोध करते हैं और अपने निवेदन में कहते हैं कि सूचक को मारपीटकर गंभीर रुप से जख्मी करने का आरोप है, इसलिए आवेदक अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाय।

प्रस्तुत वाद के सूचक सौरव कुमार हैं। सौरव कुमार दिनांक 03.03.2026 को अपने घर पर खड़ा था तो अभियुक्तगण अपने–अपने हाथ में लाठी, पैना लेकर आए और टुन्ना यादव पिस्तौल से फायरिंग किया। सभी मिलकर सूचक के घर पर चढ़कर मारपीट, गाली–गलौज किया और गले में पहने बजरंगबली को जितेन्द्र यादव छीन लिया। इन सभी से पुराना केस चल रहा है। केस में मेल–जोल करने के लिए धमकी देते हैं। कुन्दन कुमार लाठी से मारा, जिससे सूचक का दाहिना हाथ टूट गया

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– वीरेन्द्र कुमार चौबे
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 421/2026
सालिमपुर थाना कांड संख्या 88/2026

लगातार
30.05.2026

और इनके चाचा छोटेलाल यादव को चोट लगा, जिससे पैर जख्मी हो गया, जिसका ईलाज बख्तियारपुर सरकारी अस्पताल में कराया गया। उसके उपरांत दिनांक 16.03.2026 को विलंब से आवेदन दिया।

उभयपक्षों को सुना। जमानत आवेदन एवं आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज एवं अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं। अभियुक्तों पर अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक के घर पर लाठी, पैना से लैस होकर फायरिंग करने, गाली–गलौज, मारपीटकर गले से बजरंगबली छीन लेने तथा लाठी से मारकर सूचक एवं उसके चाचा को जख्मी कर देने का आरोप है। कांड दैनिकी के पारा–3 में वादी सौरभ कुमार ने अपने बयान में प्राथमिकी का समर्थन किया है तथा पारा–6, 7 में साक्षी छोटेलाल एवं साक्षी मदन सिंह ने पुरी घटना का समर्थन किया है तथा उक्त दोनों ही साक्षियों ने श्यामसुन्दर द्वारा बजरंगबली छीन लेने एवं मारपीट की बात कही गई है। प्राप्त कांड दैनिकी में जख्म प्रतिवेदन का वर्णन नहीं है। आवेदक अभियुक्त का आपराधिक इतिहास का भी वर्णन नहीं है। जमानत आवेदन के अनुसार अभियुक्तों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं होने की बात कही गई है। प्राथमिकी से स्पष्ट है कि गले से बजरंगबली छीन लेने का आरोप सह अभियुक्त जितेन्द्र यादव पर है। लाठी से मारकर हाथ तोड़ने का विशिष्ट आरोप सह अभियुक्त कुंदन कुमार पर है तथा फायरिंग करने का विशिष्ट आरोप सह अभियुक्त टुन्ना यादव पर है। उक्त तीनों ही अभियुक्त आवेदक नहीं है। आवेदक अभियुक्तों के विरुद्ध मारपीट का मिला–जुला आरोप है तथा अभियुक्तों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं होने की बात कही गई है।

वाद के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्तों को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामस्वरुप आवेदक अभियुक्त 1. महेन्द्र यादव, 2. शिवजी यादव एवं 3. बिपिन कुमार को आदेश की तिथि से 30 दिनों के अन्दर न्यायालय में आत्समर्पण करने या गिरफ्तार होने की दशा में मो0 10,000 रूपये के शपथयुक्त बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने के उपरांत जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है

(लेखापित/शुद्धित)

(वीरेन्द्र कुमार चौबे)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बाढ